


फर्द अहकाम

प्रयालय

बाबूलाल बनाम नाना

ख्या 11/2021

दिनांक आह्रा या कार्यवाही	आह्रा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/9/21	<p>पत्रावली भेज दी है। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगावाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता को अदालत से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम्य दायरी अदम्य पत्रवाली में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभारंभ होकर दर्ज नम्बर से कम है, वाद तदुक्त दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">  (अधिवक्ता अधिकारी अदालत दिल्ली सिविल) </p>	

